नागरिकता कानून 2019 और वर्तमान भारतीय राजनीति

डॉ0 पूजा नायक

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग

नेशनल पी.जी. कॉलेज, बड़हलगंज, गोरखपुर

Email: pujanaik-5@gmail.com

सारांश

प्राचीन काल से भारत उदरवादी व अपने समाज के प्रति सहिशुण्य रहा है । उसने हर उस व्यक्ति को आश्रय दिया है जो शोषित व दलित है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019– उसी कड़ी का हिस्सा है । यह विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक अर्थात हिन्दू, सिख, जैन,बौध, पारसी, ईसाई मत के लोगों को नागरिकता देने की व्यवस्था करता है। इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने की पहल नहीं की गयी है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यह देश इस्लामिक गणराज्य हैं । सीएए का विरोध करने वाले मानते हैं कि यह कानून धार्मिक आधार पर भेद–भाव करता है जबकि हमारे संविधान में सभी नागरिकों को किसी भी आधार पर भेद–भाव को प्रतिबंधित किया गया है । इस विधेयक के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति व अराजकता के वातवरण को बढ़ावा मिला, तो दूसरी तरफ समाज को समृद्ध करने वाले शिक्षण संस्थान आज राजनीतिक मोहरे बन गए हैं । पूरे विमर्श को हिन्दुत्व–विरोध और मुस्लिम तुश्टीकरण से जोड़ने का परिणाम अंततः देश के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा । सीएए से समाज में एक वर्ग विशेष के अंदर फैले भ्रम व असंतोष को दूर करने का प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए क्योंकि यदि हमारे शरीर के किसी एक अंग का भी विकास अवरुद्ध होता है तो सम्पूर्ण शरीर प्रभावित होता है ।

मुख्य शब्दः *नागरिकता (संषोधन) विधेयक 2019 का अर्थ व विशेषता, नागरिकता अधिनियम 1955 के महत्वपूर्ण बिन्दु, सीएए का मानवीय आधार पर समर्थन, सीएए का पूर्वोत्तर राज्यों पर प्रभाव, भारत सरकार द्वारा भ्रम व असंतोष को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए ।*

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 14.09.2020
Approved: 30.09.2020

डॉ0 पूजा नायक

नागरिकता कानून 2019 और वर्तमान भारतीय राजनीति

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. II,
pp.250-257
Article No. 32

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=6391

प्रस्तावना

राजनीति–दर्शन जिन स्थितियों की व्याख्या करना चाहता हैं, वे मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देशों से संबंध रखती है। नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर–राज्यों से प्रारम्भ हुई है । नागरिकता व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है तथा राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करता है । अच्छे नागरिक में शासक व शासित दोनों के गुण होते हैं । अरस्तू नागरिकता प्राप्ति के लिए शासन में सहभागिता को आवश्यक मानते हैं । अरस्तू के अनुसार नागरिकता किसी स्थान पर रहने से नहीं आ सकती । अगर ऐसा होता तो विदेशी और दास भी नागरिक समझ जाते । कानूनी अधिकार मिलने से भी नागरिकता नहीं मिल सकती । राज्य से निकाले गए तथा मताधिकार से वंचित किए गए लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता । बच्चे जिनकी उम्र कम है उनका नाम नागरिक सूची में नहीं है तो इसलिए उन्हे भी नागरिक नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त बुजुर्ग नागरिकता के कर्तव्यों का निर्वहन भली–भाति नहीं कर सकते हैं अतः उन्हे भी नागरिक नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से उन लोगों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता–पिता नागरिक थे या जिसने उसी राज्य में जन्म लिया क्योंकि नागरिकता किसी स्थान पर जन्म लेने से नहीं मिल सकती । अरस्तू के अनुसार "नागरिक वह व्यक्ति है जो कानून बनाता है और न्याय प्रशाशन में भाग लेता है।" यद्धपि अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारअत्यंत संकुचित, अनुदार व आभिजाततंत्रीय हैं उसने न सिर्फ विदेशियों, अपितु अपने देश में निवास करने वाले बच्चे, बूढ़े, दास, महिलाओं को भी नागरिकता से वंचित कर दिया । जो वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए सार्थक नहीं है। वास्तव में, अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचारों का आध्यात्मिक अथवा तत्वमीमांसक अर्थ हैं एक समावेशी सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति के विकास के लिए व सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिक देश के संविधान की रक्षा अवश्य करें। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करता हो और न्याय प्रदान करते समय निष्पक्ष रहता हो। वर्जनियालियरी (1999 के द्वारा) नागरिकता को अधिकारों के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है । उनके अनुसार नागरिकता की अवस्था में प्राथमिक रूप से सामुदायिक जीवन में राजनीतिक भागीदारी, मतदान का अधिकार समुदाय से विशेष संरक्षण प्रप्त करने का अधिकार और दायित्व शामिल है ।

राज्य एक मानव संघ है, इसका निर्माण करने वाला प्रथम तत्व जनसंख्या है । प्लेटो जैसे दार्शनिक ने अपनी पुस्तकादि लॉज में अपने उप–आदर्श राज्य के लिए 5040 की जनसंख्या का सुझाव दिया। रूसो जैसे आधुनिक विचारक ने एक शुद्ध प्रजातांत्रिक राज्य के लिए 10000 की जनसंख्या को बेहतर माना । आधुनिक युग में किसी राज्य के लिए जनसंख्या के प्रश्न का निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। चीन जैसे लगभग 100 कड़ोड़ की जनसंख्या वाले देश से लेकर व मालदीव जैसे कुछ हजार जनसंख्या वाले राज्य भी हैं । इस संदर्भ में अरस्तू का मत सराहनीय है कि किसी राज्य कि जनसंख्या न तो इतनी विषाल हो कि प्रशासनिक समस्या बन जाए और न इतनी कम हो कि लोग शांति व सुरक्षा से रह न सके । जनसंख्या इतनी हो

कि लोग आत्म–संतोश या आत्म सम्मान का जीवन बीता सके । महानप्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य के अनुसार–अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त का संरक्षण, संरक्षित का संवर्द्धन तथा संवर्धित का उचित प्रक्रिया से सुयोग्य व्यक्तियों में वितरण ही राज्य का प्रमुख कार्य है । इस कार्य के लिए सुयोग्य नागरिकों का होना परम आवश्यक है ।

प्राचीन काल से ही यह प्रश्न उपस्थित रहा है कि किसी राज्य कि जनसंख्या सजातीय होनी चाहिए । सजातीयता का निर्धारण धर्म रक्त, भाषा, संस्कृति जैसी वस्तुओं की समानता से होता है। यदि किसी राज्य कि जनसंख्या सजातीय हो तो अच्छा है क्योंकि इसमे राष्ट्रिय एकता का कार्य सरल हो जाता है । परंतु यह आवश्यक नहीं है। बहुत से देशों की जनसंख्या में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि की दृष्टि से अनेकता देखी जा सकती है । राष्ट्र–निर्माण की सभी समस्यायें सुलझा ली जाती हैं तथा राज्य के नागरिक अपने भेदों के बावजूद राष्ट्र बन जाते हैं। इसका सबसे बढ़ा उदाहरण अमेरिका व भारत है यह अनेकता में एकता की स्थिति का सूचक है। विशाल व नियंत्रणातीत जनसंख्या शासकों को युद्ध के मार्ग की शरण करने पर विवश कर देते हैं क्योंकि किसी देश में जनाधिक्य उसके जीवन के लिए स्थायी खतरा बन जाता है ।

भारत एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है । भारत में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध पारसी आदि धर्मों के लोग निवास करते हैं । भारतीय समाज का बहुमत हिन्दू धर्म का अनुयायी है। भारत में मुसलमान तथा दलित जातियां अल्पसंख्यक हैं जो विभिन्न राज्य के भू–क्षेत्र में फैले हुए हैं । यह लोग प्रायः धर्म के सूत्र में परस्पर बंधे रहते हैं और अप्रजातांत्रिक समाज व्यवस्था के कारण किसी विशिष्ट सामाजिक अन्याय के भोगी होते हैं, किन्तु ये भिन्न पृथक राष्ट्र नहीं होते क्योंकि ऐसे किसी दल के सारे सदस्य किसी भू–क्षेत्र विशेष की वासी नहीं होते और उनका सम्मिलित आर्थिक जीवन नहीं होता । भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित रखने वाले अनेक प्रावधान हैं संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का आश्वासन दिया गया है और किसी व्यक्ति के धर्म, जाति और मूलवंश आदि के आधार पर भेदभाव करना वर्जित ठहराया गया है । अनुच्छेद 16 में समान अवसर दिये जाने का प्रावधान है । हमारे संविधान निर्माता अल्पसंखकों कि समस्याओं से परिचित थे अतः उन्होने अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अन्तः कारण की स्वतन्त्रता तथा किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और धार्मिक प्रचार की गारंटी दी गई है । अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रबंध बिना किसी हस्ताक्षेप से करने वह अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म की उन्नति और प्रसार–प्रचार के लिए करो की वसूली पर छूट दी गई है अनुच्छेद 28 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थिति न होने की छूट दी गई है ।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है ।

जनतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जनता होती है। जन के अस्तित्व के बिना राज्य के

अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । इनमें निवास करने वाले मानव समुदाय से राज्य बनता है । जो जनसंख्या राज्य में होती है उनके कुछ अधिकार व कर्तव्य होते हैं । भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया है । सिर्फ अनुछेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद समय–समय पर नागरिकता से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है । इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 लाया। जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध है। इस उपबंध में नागरिकता कि कुछ शर्ते निर्धारित की गयी । इस कड़ी में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005 और वर्तमान में 2019 अस्तित्व में आया । भारत सरकार ने सन 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 में यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आये हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत कि नागरिकता प्रदान कि जा सकेगी । इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने कि षर्त में ढील देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। इस अधिनियम की सर्वाधिक विशेषता यह है कि इस अधिनियम में मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि उक्त देश इस्लामी गणराज्य है तथा यहाँ निवास करने वाले अल्पसंख्यक, जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित व शोषित हैं उन्हीं को ही यह लाभ मिलेगा । हमें इस ऐतिहासिक तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि हमने सांप्रदायिक विभाजन की त्रासदी झेली है।

नागरिकता संशोधन कानून–2019 अर्थात सीएए की मुख्य विशेषता यह है कि 31 दिसम्बर 2014 या उससे पहले भारत आनेवाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 6 धर्मो के अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा । नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इसके तहत अवैध प्रवासीउसे माना गया है–

जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो ।

जो अपने निर्धारित समय–सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है ।

इस लाभ को देने के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत भी छूट देनी होगी ।

वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिए बाध्य करता है ।

1946 का अधिनियम भारत में विदेषियों को नियंत्रित करता है ।

नागरिकता संशोधन कानून –2019 अर्थात सीएए में भारतीय नागरिकता देने का आधार ही धार्मिक उत्पीड़न है । यह प्रताड़ित लोगों को मानवीय आधार पर आश्रय देने वाला कानून है। इस कानून का सीमित दायरा संवैधानिक नैतिकता एवं सार्वजनिक नीति से आबद्ध है । देश के विभाजन के समय स्वयं महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले

अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना चाहिए । जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभि सीतारमैया,जे० बी० कृपलानी से लेकर इन्दिरा गाँधी ने भी पाक से आये अल्पसंख्यकों के लिए उदारवादी दृश्टिकोण अपनाने का समर्थन किया ।सन 2003 मेंअटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय विपक्ष के नेताडॉ०मनमोहन सिंह ने इन देषों से आये षरणार्थियो को नागरिकता देने के लिये लचीले कानून बनाने का परामर्ष दिया । जिसका समर्थन तत्कालीन उपसभापति डॉ० नजमा हेपतुल्ला ने भी किया ।

संयुक्त राश्ट्र कि आर्थिक एवं सामाजिक समिति ने "पाकिस्तान रिलिजियस फ्रीडर अंडर अटैक"षीर्शक से जारी अपनी रिपोर्ट में स्पश्ट कहा है कि पाक में हिन्दू और ईसाई अल्पसंख्यकों की लड़कियों और महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं । बड़ी संख्या में उनका अपहरण कर जबरन धर्मांतरण कराया जाता है । मुस्लिम लड़कों से विवाह के लिए विवष किया जाता है । उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता है । पाकिस्तान हिन्दू काउंसिल की मानें तो धार्मिक उत्पीड़न के चलते 5000 हिन्दू हर वर्श भारत पलायन कर रहे हैं । पाकिस्तान, बांग्लादेष और अफगानिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न,धर्म परिवर्तन या फिर पलायन के लिए मजबूर करना दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है । पाकिस्तान में 1947 के बंटवारे के पष्चात वहां हिंदुओं की जनसंख्या 15 प्रतिषत थी जो आज मात्र 1.5 प्रतिषत रह गयी है। जबकि भारत में 1951 से 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या 9.6 प्रतिषत से बढ़कर 14.2 प्रतिषत हो गयी ।

1947 में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेष में हिंदुओं की जनसंख्या 31 प्रतिषत थी जो आज मात्र 8 प्रतिषत के करीब रह गयी है । न्यूयार्क स्टेट यूनिवर्सिटीकी षोधकर्ता षची दस्तीदार ने 2008 में किए गए अपने षोध में पाया था कि4 करोड़ 90 लाख हिन्दू बांग्लादेष से गायब हो चुके हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान में 1970 के दषक में हिंदुओं और सिखों की जनसंख्या 7 लाख हुआ करती थी । यह वर्तमान में घटकर मात्र 2500 रह गयी है । इन देषों में स्थितियां इतनी विकट हैं कि पेषावर जैसे इलाकों में हिन्दू और सिख षवों का दाहकर्म न कर पाने के कारण उन्हे दफनाने के लिए मजबूर हैं । धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की ऐसी दूसरी मिसाल खोजना मुष्किल है ।

सीएए पर विपक्ष व मुस्लिम समाज का मानना है कि यह अधिनियम अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन है । इसकी संवैधानिकता पर विषेशकर अनुच्छेद के दो सिद्धांतो 'इंटेलिजिबल डिफरेंषियल' और 'रिजनेबल नैक्सस' पर सवाल खड़े किए जाते हैं । जिसका अर्थ वह भेद है जो कारणों की विषिश्टता को स्पश्ट करें । अर्थात विषिश्ट भेद के चलते प्रभावित वर्गों के लिए कानूनी प्रावधान बनाने के तर्क संगत आधार से है ।

सीएए पर यदि किसी क्षेत्र की षिकायत सही है तो असम व पूर्वोतर राज्यों की है । इस कानून के कारण असम व पूर्वोतर राज्यों के लोगों को लगता है कि उनकी संस्कृति के लिए खतरा पैदा हो गया है । असम समझौता 1985 के तहत भारत सरकार ने असम के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाशाई पहचान और विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने कि घोशणा कि थी । असमिया भाशा बोलने वाले लोगों कि संख्या दिन–प्रतिदिन घटती जा रही है। 1991 में जनगणना के अनुसार असमिया बोलने वाले 57.8 थे जो 2001 में घटकर 47.8 हो गए । जबकि यहा

बांग्लाभाषियों की संख्या 21.7 से बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गयी । बांग्लादेश के कारोड़ों लोग असम में बस चुके हैं । उनके चलते असम का समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल बदल गया है । असम में बाहरी लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है । उग्रवादी संगठन उल्फा इसी आंदोलन की उपज है । असम भूमि और भाषा के आधार पर शासन चाहता है जो की राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षितकरे और शरणार्थियों को धार्मिक उत्पीड़न के बहाने प्रोत्साहित न करें ।

यद्यपि नागरिकता संशोधन कानून – 2019 असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के आदिवासी इलाके में संविधान की छठी अनुसूची के चलते लागू नहीं होगा । संविधान की छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रबंधन के लिए विशिष्ट प्रावधान है । साथ ही यह स्वायत्त जिला परिषद को विशेष शक्तियाँ उपलब्ध करता है । इन परिशदों को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गयी है, जिसका उद्देश्य आदिवासी इलाकों का विकास और आदिवासी समुदाय द्वारा स्वशासन को बढ़ावा देना है । यह क्षेत्र बंगाल ईस्टन फ्रंटियर रेगुलेषन 1873 के तहत इनरलाइन में अधिसूचित है । इनरलाइन परमिट (आइएलपी) प्रणाली से आच्छादित राज्यों में भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्रवासी निवास करते है । नागरिकता कानून असम के लोगों की भूमि और पहचान को लेकर उनके डर को नजरंदाज करता है । असम में एनआरसी अर्थात राष्ट्रिय नागरिकता रजिस्टर में 19 लाख लोगों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया है । जिसमें 1 लाख असमी बोलने वाले लोग भी शामिल है ।

अवैध रूप से आए लोगों को खोजने के लिए एनआरसी एक बना–बनाया तरीका है । भारत में, प्रथम एनआरसी 1951 तत्कालीन गृहमंत्री सी.राजगोपालाचारी के नेतृत्व में बना लेकिन उसके बाद से आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ। जबकि असम में एनआरसी 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उसकी देख–रेख में बना । जैसे–जैसे असम में एनआरसी का काम चलता गया, उसके नए–नए तथ्य सामने आने लागे । इस प्रक्रिया में वर्तमान सरकार ने अवैध तरीके से आए हुए लोगों को खोजकर निकालने और सम्पूर्ण देश से बाहर भेजने के लिए लागू करना चाहा । जिसे वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने 1996 के अपने घोषणा पत्र में डिटेक्शन, डिलीशन और डिपोटैशन कहा था । इस घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने के लिए एनआरसी और सीएए दोनों की आवश्यकता थी। जिसकी पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार नागरिकता (संशोधन) कानून 2019 लायी ।

धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग और अटूट हिस्सा है । पूरे संविधान में कहीं भी किसी धर्म का उल्लेख नहीं हैं । इस समय आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम समुदाय में फैले भ्रम को दूर करने के प्रयास किए जाएं और इस बात को प्रभावी तरीके से साफ किया जाए कि सीएए किसी विशेष वर्ग के विरूद्ध नहीं है । आजादी के पश्चात जो नए भारत के भाग्य विधाता बने, उन्होंने मुस्लिम समाज में भारतीय सभ्यता व संस्कृति से जोड़े रखने व राष्ट्रीयता का भाव जागृत करने के लिए कुछ नहीं किया । संकीर्ण राजनीतिक आवश्यकताओं

ने गंगा–जमुनी तहजीब को विकसित नहीं होने दिया । भारत का हित व मुस्लिम समुदाय का हित अलग कैसे हो सकता है ? इसे समझने वाली संस्कृति का विकास हमने किया ही नहीं । नकारात्मक राजनीति विध्वंस का मार्ग है । नकारात्मक राजनीति में फंसा कोई समाज अपना चहूँमुखी विकास नहीं कर सकता है । समाज को समृद्ध करने वाले शिक्षण संस्थान आज राजनीति और अशांति का केंद्र बने हुए हैं जो किसी भी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं । सीएए या एनआरसी का विरोध कर पूरे विमर्श को हिंदूत्व विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ने का परिणाम हमे भुगतना होगा। अंततः देश में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा मिलेगा ।

सीएए का विरोध दलितों और महिलाओं का विरोध भी है क्योंकि इन देशों में उत्पीड़न का शिकार ज्यादातर महिलाएं व दलित हैं। जिन्हें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने कराची की गलियाँ व शौचालय साफ करने के लिए रोक लिया था । फिर भी, यदि सीएए संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 में प्रदत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो हमे यह नहीं भुलाना चाहिए कि भारतीय संविधान युक्तियुक्त वर्गीकरण कि अनुमति देता है । समानता का संवैधानिक सिद्धान्त यह है कि असमान परिस्थिति वाले समूहों के साथ समानता का व्यवहार असमानता उत्पन्न करता है ।

प्राचीन काल से जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल के अनुपात से निश्चित करने का प्रयास किया गया है । प्लेटो, अरस्तू, रूसो जैसे महान विचारकों ने यह माना कि "जनसंख्या किसी भी हालत में राज्य की प्रादेशिक सीमा और भरण–पोषण की शक्ति से अधिक न हो"। भारत स्वयं अपनी विशाल जनसंख्या की जटिल समस्या से ग्रसित है । हमें सहिष्णुता और मानवीय–दृष्टिकोण के साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे यहाँ बसने का अधिकारी बन जाए । रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थियो की समस्या से लेकर श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए क्षुद्र प्रयास किये जा रहे हैं वह हमारे देश के हित में नहीं है । इसी प्रकार असम तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बजाय शरणार्थियों को ऐसे राज्यों में बसाया जाना चाहिए जो भौगोलिक व आर्थिक रूप से सम्पन्न हो । हमें लोकतान्त्रिक मूल्यों को क्षेत्रीय एवं वैश्विक भू–राजनीतिक वास्तविकताओं से संबंध करके ही देखना चाहिए, जिससे हमारी अस्मिता और लोकतन्त्र दोनों ही अक्षुण्ण रहें ।

संदर्भ ग्रंथ

1. भारत का संविधान – ब्रजकिशोर शर्मा, PHILearning PrivateLimited, दिल्ली 2014,पृ0 **65 व 67** ।
2. राजनीतिक सिद्धान्त – डॉ. एस. सी. सिंघल,लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा 2015 पृ0 **49** ।
3. आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त रू जे. सी. जौहरी तथा सीमा जौहरी ,स्टर्लिंग पब्लिशर्ज प्रा.ली. 1999, पृ0 **46 व 49**।
4. भारतीय शशन एवं राजनीति – डॉ. पुखराज जैन एवं डॉ. बी. एल. फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स– आगरा 2000 , पृ **679 व 800**।

5. प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक – प्रो. मधुकर ष्याम चतुर्वेदी, फेस्बूक प्रिन्टर्स, जयपुर 2007, पृ0 **542** ।
6. दैनिक जागरण– 10 व 27 दिसम्बर 2019
7. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम : 2019– विकिपीडिया (https://hi-m-wikipedia-org)
8. नागरिकों के मौलिक कर्तव्य (14 नवम्बर 2019)– विकिपीडिया (www-guaanuday-com)
9. ओमप्रकाश गाणा – राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा (मयूर पेपरबॉक्स 2004) (www-facebook-com)
10. प्रो. मधुकर श्याम चतुर्वेदी – (विकिपीडिया) (https://promadhukarshyamchaturvedi-com)